मीरजापुर पुलिस

प्रेस नोट

दिनांकः 20.09.2024

थाना कछवां पुलिस द्वारा किन्नर की हत्या कर साक्ष्य मिटाने/शव छुपाने का आरोपी 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त वाहन व मृतक का मोबाइल बरामद —

थाना कछवां, जनपद मीरजापुर पर वादिनी चमेली देवी पत्नी राजमल पटेल निवासिनी अनांव बच्छाव थाना रोहनिया जनपद वाराणसी द्वारा अपने पुत्र चन्दन पटेल उर्फ चाँदनी के अपहरण के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कछवां पर मु0अ0सं0 116/2024 धारा 140(3) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'अभिनंदन' द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए चन्दन पटेल उर्फ चाँदनी की तलाश/बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना कछवां को निर्देश दिये गये थे। दिनांक 18.09.2024 को चन्दन पटेल उर्फ चाँदनी का शव ग्राम पीलोरी में एक कुए में होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस के उच्चाधिकारीगण व थाना कछवां पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा शव की शिनाख्त चन्दन उर्फ चाँदनी उपरोक्त के रूप में हुई। घटना क्रम के अनुसार मुकदमा उपरोक्त में धारा 103,238,3(5) की बढ़ोतरी कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के दौरान सुरागरसी पतारसी व इलेक्ट्रानिक/भौतिक साक्ष्य संकलित करते हुए दिनांकः 19.09.2024 को थाना कछवां पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना कछवां क्षेत्रांतर्गत ग्राम बाडापुर पुलिया के पास से प्रकाश में आये 03 नफर अभियुक्त 1.रितिक मौर्या पुत्र सुभाष मौर्या निवासी सौली बधवां थाना कछवां जनपद मीरजापुर, 2.विशाल सरोज पुत्र नन्हकू सरोज निवासी सौली बधवां थाना कछवां जनपद मीरजापुर, 3.अजय मौर्या पुत्र सुजीत मौर्या निवासी सौली बधवां थाना कछवां जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त आटो UP 65 GT 3954 को गिरफ्तार अभियुक्तों के निशानदेही पर बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

विवरण पूछताछ-गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि पूर्व में चन्दन पटेल उर्फ चाँदनी(मृतक) गुट के किन्नरों द्वारा क्षेत्र बटवारे की बात को लेकर शहनाज गुट के किन्नरों के साथ मारपीट किया गया था। इसी बात का बदला लेने के नियत से सुनियोजित ढ़ग से चन्दन उर्फ चाँदनी को आर्केस्ट्रा में काम करने के बात कह कर रखैना थाना मिर्जामुराद से आटो संख्या UP65GT3954 में बैठाकर ग्राम पीरोली में लाकर मारपीट कर हत्या कर साक्ष्य मिटाने/छुपाने के नियत से मृतक के शव को गांव के कुएं में फेक दिया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1. रितिक मौर्या पुत्र सुभाष मौर्या निवासी सौली बधवां थाना कछवां जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-19 वर्ष।
2. विशाल सरोज पुत्र नन्हकू सरोज निवासी सौली बधवां थाना कछवां जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-20 वर्ष।
3. अजय मौर्या पुत्र सुजीत मौर्या निवासी सौली बधवां थाना कछवां जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-116/2024 धारा140(3),103,238,3(5) बीएनएस थाना कछवां जनपद मीरजापुर।

विवरण बरामदगी —

- घटना में प्रयुक्त एक अदद आटो UP 65 GT 3954 .
- मृतक का मोबाइल एक अदद एन्ड्रायड रेडमी
- एक अदद मोबाइल एन्ड्रायड रियलमी

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

बाडापुर पुलिया के पास से, दिनांकः 19.09.2024 को समय 2.30 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

प्रभारी निरीक्षक त्रिवेणी लाल सेन मय पुलिस टीम थाना कछवां जनपद मीरजापुर।